

कार्यालय मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार , जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर (छ0ग0)

पत्र क्र. 867/कार्य/
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 8/03/2019

अधीक्षण अभियंता,
सूचना प्रबंधन प्रणाली
स्टेट डाटा सेंटर
रायपुर (छ0ग0) ✓

विषय:- शेखरपुर एवं डांडपानी वृहद परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के अनुबंधों एवं कार्य पर मुगतान रोकने बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त दोनों परियोजनाएं वृहद स्वरूप की है एवं शासन द्वारा इसे नदीन मद में शामिल किया गया था तथा सर्वेक्षण कार्य के लिए कार्यपालन अभियंता द्वारा अनुबंध भी निष्पादित कर लिया गया है। CWC के 2010 में प्रकाशित गाईडलाईन के कडिका क्रमांक 2.3 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि The Preliminary reports shall be quickly scrutinized in the Office where they submitted However, once a report is found acceptable, "In principle" consent of CWC for DPR preparation shall be communicated from the office of the Chief Engineer, PAO^{CWC} after examination and clearance by a Screening Committee. उक्त दोनों परियोजनाओं में आज दिनांक तक principle consent, CWC से प्राप्त नहीं किया गया है। अतः CWC से consent प्राप्त करने तक उक्त दोनों कार्यों पर किसी भी प्रकार के मुगतान न करने दिया जाये। भविष्य में Approval आने के पश्चात् भुगतान परमिट करने के लिए आपसे पुनः पत्राचार किया जावेगा।

सहपत्र : - निरंक ।

मुख्य अभियंता

हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

पृ. क्र. 868/कार्य/
प्रतिलिपि:-

610

अम्बिकापुर, दिनांक 8/03/2019

1. सचिव, छ0ग0 शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) ।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ0ग0) ।
3. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर (छ0ग0) ।
4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जशपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ, एवं CWC से "principle consent" प्राप्त करने हेतु उचित कार्यवाही कर अद्योहस्ताक्षकर्ता को सूचित करने बाबत।

सहपत्र : - निरंक ।

मुख्य अभियंता

हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

कार्यालय मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)
पत्र क्र. 01 / बजट / 2020-21 / अम्बिकापुर, दिनांक 3 / 9 / 2020
प्रति.

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन,
सेक्टर 19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- भाग संख्या 41/4700 वृहद परियोजना का सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत डांडपानी जलाशय वृहद परियोजना हेतु किये गये सर्वेक्षण कार्य के भुगतान के संबंध में।


संदर्भ :- 1) इस कार्यालय का पत्र क्र. 3306 / बजट / 2020-21, अम्बिकापुर, दिनांक 27.08.2020
2) इस कार्यालय का पत्र क्र. 867 / कार्य / अम्बिकापुर, दिनांक 08.03.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र क्र. 01 से डांडपानी जलाशय वृहद परियोजना हेतु किए गए सर्वेक्षण कार्य के भुगतान के लंबित रहने से अवगत कराया गया है। पूर्व में इस कार्यालय के सन्दर्भित क्र. 02 से केन्द्रीय जल आयोग की वर्ष 2010 की गाइडलाईन के अनुसार कार्य संपादित करने के परिप्रेक्ष्य में भुगतान पर रोक लगाई गई थी।

वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग की वर्ष 2017 की गाइडलाईन लागू हैं जिसकी कंडिका 3.1 के अनुसार प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके अनुपालन में एवं मेन्युअल की कंडिका 2.026 का पालन करते हुए कन्सलटेंट द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण कार्य के भुगतान में से वर्तमान में रु. 343.14 लाख के प्रस्तुत देयकों के भुगतान किए जाने की अनुशंसा की जाती है। कृपया तदनुसार डाटा सेन्टर को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

सहपत्र - उपरोक्तानुसार।



मुख्य अभियंता,


हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

पृष्ठा. क्र. / बजट / 2020-21
प्रतिलिपि,

अम्बिकापुर, दिनांक / / 2020

- (1) अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अम्बिकापुर को उनकी अनुशंसा के संबंध में सूचनार्थ।
- (2) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशुपर को सूचनार्थ।

सहपत्र - शून्य।



मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

**कार्यालय मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा(छ.ग.)**

पत्र क्र. 3703/बजट/2020-21/

अम्बिकापुर, दिनांक 16/10/2020

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन,
सेक्टर 19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मांग संख्या 41/4700 वृहद परियोजना का सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत डांडपानी जलाशय वृहद परियोजना हेतु किये गये सर्वेक्षण कार्य के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- 1.आपका पत्र क्र. 4211962/बजट/2020/ 14877, दिनांक 22.11.2019
2.इस कार्यालय का पत्र क्र. Q1/बजट/2020-21/कैम्प रायपुर, अम्बिकापुर, दि. 03.09.2020


—00—

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में लेख है कि इस संरचना के अन्तर्गत कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर के अधीन डांडपानी जलाशय वृहद परियोजना हेतु किये गये सर्वेक्षण कार्य के भुगतान के संबंध में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर के पत्र क्र. 404/तक., दिनांक 20.05.2020 एवं अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर के पत्र क्र. 2347/बी-1 (4071) का 2020, दिनांक 02.06.2020 के द्वारा "डांडपानी वृहद जलाशय योजना में अनुबंधित समस्त कार्य कंशलटेंट्स द्वारा अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एवं परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, कंशलटेंट्स द्वारा अनुबंधित कार्य के पूर्णता उपरान्त अंतिम देयक भी प्रस्तुत कर दिया गया है तथा संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर को प्राप्त हो गये हैं।" उल्लेख करते हुए निम्नांकित अनुबंधों के तहत देयकों के भुगतान की अनुमति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

1	अनुबंध क्र. 37/डी.एल.	अनुबंधित राशि 76.41 लाख	देयक की राशि रु. 7492244.00
2	अनुबंध क्र. 38/डी.एल.	अनुबंधित राशि 42.36 लाख	देयक की राशि रु. 3503107.00
3	अनुबंध क्र. 50/डी.एल.	अनुबंधित राशि 74.85 लाख	देयक की राशि रु. 2680043.00
4	अनुबंध क्र. 51/डी.एल.	अनुबंधित राशि 74.70 लाख	देयक की राशि रु. 6966971.00
5	अनुबंध क्र. 52/डी.एल.	अनुबंधित राशि 74.87 लाख	देयक की राशि रु. 5182702.00
6	अनुबंध क्र. 53/डी.एल.	अनुबंधित राशि 74.84 लाख	देयक की राशि रु. 7482000.00
	योग :-	कुल राशि 418.03 लाख	कुल राशि रु. 33307067.00

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में तथा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर के पत्र क्र. 404/तक., दिनांक 20.05.2020 एवं अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर के पत्र क्र. 2347/बी-1 (4071) का 2020, दिनांक 02.06.2020 के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर डांडपानी जलाशय वृहद परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के उपरोक्त देयकों की कुल राशि 3,33,07,067.00 के भुगतान की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है।

सहपत्र - 



मुख्य अभियंता,

हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

क्रमशः2.....

कार्यांक 4211082 / बजट / 2019 / 1767
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-10
नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर

दिनांक 07/02/2020

प्रति

1. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर (छ.ग.)
3. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर (छ.ग.)
4. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगी परियोजना, बिलासपुर (छ.ग.)
5. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- योजनाओं के अनुबंधित सर्वेक्षण कार्य के देयकों के भुगतान बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 14877 दिनांक 22.11.2019

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विभाग में संचालित समस्त अनुबंधित सर्वेक्षण कार्यों के देयकों के भुगतान की अनुमति संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा नियमानुसार परिक्षण कर प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस बाबत समस्त कार्यालयों को आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए तथा दिनांक 30.01.2020 को मुख्य अभियंताओं के साथ हुई बैठक में लिए गये निर्णय के परिपेक्ष्य में उक्त दिशा-निर्देश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है। अतः अब विभाग में संचालित अनुबंधित सर्वेक्षण कार्यों के देयकों के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित करें :-

1. वर्तमान समस्त सर्वेक्षण अनुबंध जो पीसवर्क के माध्यम से (केवल लघु योजनाओं हेतु) किये जा रहे हैं, के भुगतान हेतु कार्यपालन अभियंता स्वयं सक्षम होंगे।
2. पूर्व के अनुबंध, जो रूचि के अभिव्यक्ति के माध्यम से किये गये थे में
(क) लघु कार्यों के सर्वेक्षण हेतु किये गये अनुबंधों में संबंधित कार्यपालन अभियंता नियमानुसार स्वयं परिक्षण कर अधीक्षण अभियंता (एम.आई.एस.) स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर को ई-मेल के माध्यम से भुगतान हेतु पत्र प्रेषित करेंगे।
(ख) बृहद एवं मध्यम कार्यों के सर्वेक्षण हेतु किये गये अनुबंधों का भुगतान हेतु पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देश अनुरूप ही संबंधित मुख्य अभियंता से अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही संदर्भित पत्रानुसार की जावेगी।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 4211962/बजट/2019/ 2254
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

प्रति,

रायपुर, दिनांक 04/03/2021

मुख्य अभियंता

1. महानदी परियोजना, रायपुर।
2. महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
3. हसदेव कछार, बिलासपुर।
4. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर।
5. हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर।


विषय :- योजनाओं के अनुबंधित सर्वेक्षण कार्य के देयकों के भुगतान बाबत।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र. 1767 दिनांक 07.02.2020

==00==

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विभाग में संचालित वृहद एवं मध्यम कार्यों के सर्वेक्षण हेतु किये गये अनुबंधों का भुगतान संबंधित मुख्य अभियंता से अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस बाबत समस्त कार्यालयों को आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय हित में उक्त दिशा-निर्देश में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है। अतः अब विभाग में वृहद एवं मध्यम कार्यों में संचालित अनुबंधित सर्वेक्षण कार्यों के देयकों के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित करें :-

1. पूर्व के अनुबंध जो रूचि के अभिव्यक्ति के माध्यम से किये गये थे, में वृहद एवं मध्यम कार्यों के सर्वेक्षण हेतु किये गये अनुबंधों का भुगतान हेतु संबंधित कार्यपालन अभियंता स्वयं सक्षम होंगे।

सहपत्र :- शून्य।


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)